-1-

20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

298

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश शासन ग्वालियर

–एक / 16 विविध- 9223-I-16

आवेदक –– दशरथ प्रसाद गौड़ पिता सोनूलाल गौड़
निवासी ग्राम बरबटी तहसील व जिला जबलपुर

विरूद्व

अनावेदक –– संदीप सिंह ठाकुर पिता श्री किशन सिंह ठाकुर
निवासी 659 डॉ0 भंडारी अस्पताल के पीछे तहसील व जिला जबलपुर

सुश्री प्रवीन कुमारी धावाल अधिवक्ता द्वारा ... जबलपुर म.प्र. प्रस्तुत। 27-10-16

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा. संहिता1959

Parbeen Kumari Dhawal 27/10/2016

अनावेदक / आवेदक की ओर से निवेदन है कि :–

1. यह कि, माननीय न्यायालय के द्वारा अपील कं. 700–एक / 16 विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2015 पारित द्वारा कलेक्टर जबलपुर प्रकरण कं. 316 / अ–21 / 2013–14 द्वारा दिनांक 29.02.2016 को निराकृत किया गया था।
2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2016 को प्रकरण का निराकरण करते हुये आदेश की कंडिका कं. 2 (1) (2) (3) के अंतर्गत आवेदक को भूमि कय करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी।
3. यह कि, आवेदक का लीवर खराब होने के कारण आवेदक माह मार्च से चेन्नई में इलाजरत् रहा एवं आवेदक का निरंतर इलाज चला जिसके कारण आवेदक कंडिका 2 (3) का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया एवं दिये गये 04 माह की समयावधि में आवेदक / अनावेदक भूमि का पंजीयन नही करवा पाया। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदक / अनावेदक को कंडिका 2 (3) में दी गई समयावधि 04 माह को क्षमा करते हुये आवेदक / अनावेदक को 01 माह का अतिरिक्त समय ओर प्रदान करने की कृपा करें।

NOTARY GOVT. OF M. P. INDIA Ku. Vijeshwari ... Civil District JBP. R. No. M.P. 19/ 5.9.08

26 OCT 2016

विविध 9223/ए/16 नवम्बर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27-10-16 जबलपुर	आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुश्री परवीन कुमारी धरवाल उपस्थित । उन्हें, उनके द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 700-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 29-2-16 द्वारा अपीलार्थी को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । उनका कहना है कि प्रस्तावित क्रेता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे मार्च से चेन्नई में इलाजरत रहे इस कारण इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में विक्रयपत्र का निष्पादन प्रस्तावित क्रेता के पक्ष में अभी तक नहीं करा पाया है और उक्त अवधि समाप्त हो गई है । उनके द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया । इस संबंध में उनके द्वारा अपीलार्थी का शपथपत्र एवं इलाज के पर्चों की प्रतियां पेश की गई हैं । विचारोपरांत न्यायहित में अपीलार्थी का अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 अपील 700-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 29-2-16 में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	P.K. Dhalwal Adv Parbeen Kumari Dhalwal